

**दुर्गांतर रेलवे (निर्माण समझौते)
अधिसूचना**

रेलवे बोर्ड के अधिनियम 80-(1)(ग)डी/2019/आरबी-46 दिनांक 27.06.2017, 17.10.2018 आरबी 2019, 07.10.2018, 16.10.2017, 12.12.2017 एवं पत्र सं०-2019/2007/REC-4(CORE) दिनांक 28.11.2019 में विहित विधियों के अन्तर्गत पर कक्षा/कार्य/गोरखपुर के पत्र सं०-का/नि/दुर्गांतर/2019/दिनांक 13.12.2019 के तहत प्रशासनिक कार्रवाई के अनुसंधान/सहायक निर्माण समझौते दिनांक 28.11.2019 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वार्षिक वार्षिकिक के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों पर रि-एंगेज करने का निर्णय किया गया है-

क्र.सं.	पद नाम	विक्रम पदों की सं०	क्र.सं.	पद नाम	विक्रम पदों की सं०
1	सीनियर/जे ड (डाटा)	05	7	जूनियर सिपाय	04
2	सीनियर/जे ड (कार्गो)	01	8	ट्रेनर	01
3	ट्रेनर मैत्र	01	9	सिस्टम	02
4	टैकनीशियन	06	10	वी एस	02
5	फोटो कार्गो अपरेटर	01	11	वी एस	01
6	मेट	05		गैम क्लब मेट	26

अतः उपरोक्त पदों को विरक्त दिनांक 30.11.2019 तक सेवा सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों में रि-एंगेज करने हेतु निम्न पदों के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं-

1. इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि 08.12.2019 को आवेदन की उम्र 65 वर्षों से कम होनी चाहिए।
2. मननित कर्मचारियों का रि-एंगेज कर कार्रवाई करवायी जाय 65 वर्षों होने तक मान्य होगी।
3. रि-इम्प्लोमेंट के तहत कर्मचारियों को विकिरीय रूप से रिट होना चाहिए।
4. रि-इम्प्लोमेंट कर्मचारियों को वार्षिक वार्षिकिक व पत्र सं०-2019/2007/REC-4(CORE) दिनांक 28.11.2019 एवं समझौते पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित निर्णय/पत्रों से जागरित होगी।
5. रि-इम्प्लोमेंट किये गये पूर्व कर्मचारियों की सेवा जारी भी बिना पूर्व नोटिस समझौते की जा सकती है।
6. अधिसूचना जारी करने की तिथि के पूर्व वेतन/प्राप्त आवेदन पत्र तहत विरक्त कर्मचारियों।
7. वार्षिक वार्षिकिक दर पर कार्य पर चले जाने वाले हुए पत्रों के लिए अधिसूचना जारी करने पर प्रशासनिक निर्णय अतिम मान्य जाएगा।
8. कक्षा/नि/गोरखपुर के कार्यालय में इसकी लिए एक खसम भी रखा गया है, जिससे आवेदन जमा जा सकता है। यह खसम मान्यता प्राप्त सुविधा के प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोले जाएगा।
9. निम्न के अनुसार सम्बन्धित नंबर को रेल सेवा से सेवानिवृत्त कर सकते हैं।
10. इसकी लिए स्थानीय समाचार पत्रों में भी अधिसूचना जारी की जा रही है।
11. यह दिनांक दिनांक 01.12.2019 तक सेवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आवेदन पत्रों को भी अनुसंधान किया जाएगा।
12. आवेदन पत्र का प्राप्ति सतत है।

अतः दिनांक 30.11.2019 तक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को निर्माण समझौते में वार्षिक वार्षिकिक के अन्तर्गत पर कार्य करने के इच्छुक हैं, अपना आवेदन पत्र (सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र के साथ) दिनांक 01.12.2019 तक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/दुर्गांतर रेलवे, गोरखपुर को प्रेषित करेंगे।

सं-रावे/॥

(प्रदीप कुमार)
कक्षा/निर्माण
मूले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि
दिनांक 13.12.2019

सं-का/227/रि-दुर्गांतर/निर्माण/६५६

प्रतिनिधि समान कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/पु.उ.रे, गोरखपुर-कक्षा जल अधिसूचना को दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में अधिसूचित करने की व्यवस्था करें।
गुरिदुर्गा/नि/गोरखपुर, विसमूलेधि/नि/गोरखपुर, सविम/पु.उ.रे/नि/गोरखपुर
उप गुरिदुर्गा/नि/गोरखपुर, मुख्यप्रशासन/गोरखपुर, लखनऊ, बाराणसी, दुबई/लखनऊ
उप गुरिदुर्गा/नि/मुख्यालय, मूले, सामान्य, बिबि, टैक निरीक्षण एवं अभिग/गोरखपुर
उप गुरिदुर्गा/नि/लखनऊ, बाराणसी, बाराणसी, दुबई/लखनऊ
उप गुरिदुर्गा/नि/गोरखपुर, लखनऊ, उच्च मुख्य परिधान प्रबंधक/नि/गोरखपुर, मॉडिंस बोर्ड
उप गुरिदुर्गा/नि, उप गुरिदुर्गा/नि, कक्षा/नि/सर्व/गोरखपुर, मकी/लखनऊ/बी.डी. खालसा/गोरखपुर
उप गुरिदुर्गा/आई.टी./पु.उ.रे गोरखपुर को इस अन्तर्गत से प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना को रेलवे के वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

मूले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि

③
शुक्लादी आर.वी

P.T.O.

पूर्वात्तर रेलवे (निर्माण संगठन/कार्मिक शाखा)

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं० ई(एन.जी.)II/2010/आरसी-46 दिनांक 27.09.2012, 17.10.2014, 31.08.2015, 07.10.2016, 16.10.2017, 12.12.2017 एवं पत्र सं०-E(NG)II/2007/RC-4/CORE/1 दिनांक 28.11.2019 में निहित निर्देशानुसार सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक आधार पर पुर्ननियोजन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

संदर्भ- मु०प्र०अ०/नि०/पू.उ.रे. गोरखपुर का अधिसूचना सं०-का/227/
रि-इंगेज/निर्माण दिनांक 18.12.2019

1.	कर्मचारी/पी.एफ. सं०-		नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो
2.	नाम		
3.	सेक्स/धर्म		
4.	ब्लड ग्रुप		
5.	पैन नम्बर		
6.	आधार नम्बर		
7.	बैंक खाता सं०-		
8.	आई.एफ.एस.सी. कोड-		
9.	बैंक का नाम एवं पता-		
10.	पिता का नाम		
11.	जन्म तिथि		
12.	सेवानिवृत्त के समय पद		
13.	आवेदित पद		
14.	सेवानिवृत्त कार्यालय नाम		
15.	सेवानिवृत्त की तिथि		
16.	पे बैंड/लेवल		
17.	अन्तिम मूल वेतन		
18.	पेंशन की रकम		
19.	पत्राचार का पता		
20.	सम्पर्क मो०नं०-		
21.	संलग्नक-हों/नहीं	सेवा प्रमाण पत्र	
		पेंशन गृहगतान आदेश(पीपीओ)	
		अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र	

मेरी जानकारी में उपर दिये गये सभी विवरण सही एवं सत्य हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पुर्ननियोजन के पश्चात रेलवे बोर्ड/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/गोरखपुर के द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले नियम एवं शर्तों का पालन करूँगा।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम